न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

पीठासीन अधिकारीः— मणीलाल तीरगर

मुकदमा नम्बर 1/2016 अपील नामान्तरकरण निर्णय दिनांक 4.7.2019

नाथू पिता लक्सी कटारा जाति भील निवासी कटारापाडा त. चिखली जिला डूँगरपूर :— अपीलांट

बनाम

श्री बापू उर्फ बापूलाल पिता वागजी कटारा जाति कटारा (नामान्तरकरण सं. 366 मे गलत रूप से अंकित पिता का नाम जिससे अपीलांट सहमत नही हे श्री मजूडा)निवासी कटारापाडा त. चिखली जिला डूँगरपूर

:— रेस्पोडेंट

अधिवक्ता अपीलांटः— श्री नरेश जोशी

अधिवक्ता रेस्पोडेंटः—श्री अल्लाह नुर मंसुरी

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक अपील नामान्तरकरण सं. 366 प्रमाणीत दिनांक 2.12.2015 तहसीलदार भु.अ. चिखली को लेकर प्रस्तुत की अपील के अनुसार अपीलांट एवम् अन्य सहखातेदारान् के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम कटारा पाडा मे स्थित है जिसका खाता सं. नया 110 व पूराना 105 होकर रकबा 25 बिघा 4 बिस्वा है तथा अपीलांट द्वारा एक अपील सं. 1/15 नामान्तरकरण सं. 310 ग्राम पंचायत धनगॉव प्रमाणीत दिनांक 22.8.2014 को लेकर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मे प्रस्तूत की जहॉ अपील स्वीकार कि जाकर नामान्तरकरण सं. 310 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार चिखली को रिमाण्ड किया गया ।तहसीलदार चिखली द्वारा न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किये गये नामान्तरकरण मे रेस्पोडेंट बापू को स्व. मजूडा का गौद पुत्र मानते हूवे तथा वसीयत उसके पक्ष मे बताते हूवे उसके पक्ष मे पूनः नामान्तरकण खोले जाने आदेश पारित किया तथा नामान्तरकरण सं. 366 प्रमाणीत दिनांक 2.12. 2015 तहसीलदार भू.अ. खोला गया जिससे दूखी होकर यह अपील माननीय न्यायालय आप मे पेश हे।अपीलांट व खाते मे अंकित अन्य सहखातेदारान् के मध्य बटवाडा हेतू आपसी सहमति नही बन पाने से अपीलांट ने खाते की नकल निकलवाई तो पता चला की रेस्पोडेंट बापूलाल का नाम स्व. मजूडा के वारिस के रूप मे बापूलाल द्वारा राजस्व कर्मचारियो , ग्राम पंचायत से मिली भगत कर धोखा धडी के जरिये इन्द्राज करा लिया है जबकि बापू उर्फ बापूलाल के पिता का नाम

Scanned by CamScanner

वागजी कटारा है तथा उसके दस्तावेजात मे भी इसी नाम का इन्द्राज चला आ रहा है।जिसकी जानकारी पर अपीलांट ने नामान्तरकरण सं. 310 दिनांक 22.8.2014 ग्राम पंचायत धनगॉव की नकल प्राप्त की तथा उसके पश्चात् एक वाद व अपील माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के न्यायालय मे प्रस्तूत की जिसका वाद सं.1/15 व अपील नम्बर 1/15 अंकित किया गया जिसमे वाद मे प्रतिवादीगण गंगा, बापू, निमू, लिला, शान्ति ,गीता, वागजी की और से जबाब प्रस्तूत किया गया तथा स्वीकार किया गया कि नामान्तरकरण स . 310 गलत खोला गया है और वादी का वाद डिग्री किया जावे कथन किया तथा साथ ही प्रतिवादी बापू ने आपसी राजीनामा दिनांक 23.4.2015 प्रस्तूत किया जिसमे भी स्पष्ट उल्लेखित किया गया कि श्री मजूडा द्वारा अपने जीवन काल मे किसी को गौद नही लिया और न ही किसी के पक्ष मे उनके द्वारा वसीयत की गई थी जिसके आधार पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा द्वारा अपील आदेश दिनांक 7.5.2015 के जरिये नामान्तरण सं.310 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण तहसीलदार चिखली को रिमाण्ड किया गया तथा वाद राजीनामा के आधार पर समाप्त किया गया। तहसीलदार भू.अ. चिखली को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर उन्हे दो माह मे निस्तारण का आदेश होने के बावजूद उनके द्वारा दिनांक 18.11.2015 को रिमाण्ड किये गये प्रकरण मे प्रतिवादी बापू को मजूडा का गौद पूत्र मानते हूवे उसके पक्ष मे वसीयत संपादित किये जाने का उल्लेख करते हूवे उसके नाम इन्तकाल खोलने का आदेश दिया गया जिस पर इन्तकाल सं. 366 बापू के पक्ष मे दर्ज किया जाकर उसे मजूडा का गौद पूत्र बताया गया उपरोक्त नामान्तरण गलत खोला गया है तथा निरस्त योग्य है प्रतिवादी तहसीलदार के समक्ष यह बात स्पष्ट होने पर की जैसा की उनके निर्णय के पेज सं. 2 की नौवी लाईन मे अंकित है एक आपसी समझौता नामा पेश हूआ है जिसमे प्रतिवादी बापू स्वयं पक्षकार होकर उस बापू द्वारा स्वयं कथन किया गया है कि मजूडा ने किसी को गौद पूत्र नही रखा था एवम् न ही वसीयत संपादित की थी उसके बावजूद तहसीलदार द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से न्याय की हत्या करते हूवे यह मान लिया कि रेस्पोडेंट बापू गौद गया है जबकि पूर्व के नामान्तरण सं. 310 के समय भी एसा कोई दस्तावेज जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.6.2005 का बापू द्वारा पेश करना बताया हे पेश नही हूआ था तथा यहॉ तक की बापू द्वारा एसा कोई दस्तावेज माननीय उच्चतर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के समक्ष भी प्रस्तूत नही हूआ था तथा तहसीलदार चिखली की मानसिकता का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी को खातेदार काश्तकार घोषित करना उनके अधिकार क्षैत्र के बाहर होने के बावजूद उन्होने अपने पद व अधिकार से आगे बढते हूवे बापू को खातेदार काश्तकार तक घोषित कर दिया जिससे साबित होता है कि प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा अपने अधिकारो से परे जाकर आदेश पारित किया एसी

Scanned by CamScanner

परिस्थति मे खोला गया नामान्तरण सं. 366 प्रमीणत दिनांक 2.12.2015 खारीज योग्य है तथा तहसीलदार साहब को अपने निर्णय की पालना करने की कितनी शीघ्रता थी इस बात का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होने दिनांक 2.12.2015 को पटवारी को व गिरदावर को पत्र लिखा और दिनांक 2.12.2015 को ही नामान्तरकरण प्रमाणीत कर दिया । जबकि नामान्तरकरण व निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट नाथू को किसी प्रकार से सूचित नही किया गया यह सूचित इस लिये नही किया गया ताकि वादी नाथू तहसीलदार चिखली के निर्णय व खोले जाने वाले नामान्तरकरण के विरूद्ध कार्यवाही नही कर सकें । तहसीलदार को कानूनी ज्ञान के आधिक्य के चलते उन्होने प्रतिवादी बापू को मजूडा का गौद पुत्र मान लिया जबकि गौद संबधी विवाद सिविल कोर्ट मे तय होते है,नामान्तरकरण की कार्यवाही मे तहसीलदार को कोई अधिकार नही है तथा गौद का विधि अनूसार पंजीकरण होना आवश्यक है लेकिन ऐसी कोई बात नही होने के बावजूद प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी बापू को गौद पुत्र मान लिया । प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा अपने आदेश के पेज सं. 3 मे उल्लेखित किया है कि धारा 133 एल.आर.एक्ट मे कोई व्यक्ति संपति मे अधिकार प्राप्त करता है तो वह पटवारी को सूचित करेगा लेकिन नामान्तरकरण सं. 310 व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मे चले प्रकरण मे किसी मे भी प्रतिवादी बापू द्वारा जो 20रू. का स्टाम्प बताया जा रहा है कही पेश नही किया है न ही इस बाबत् कोई कथन किया गया है और तो और तहसीलदार महोदय द्वारा 10/–जूर्माना का उल्लेख किया है लेकिन प्रकरण मे कही भी जूर्माना बाबत् आदेश हो एसा प्रतित नही होता है । ऐसी परिस्थति मे प्रतिवादी तहसीलदार चिखली को जो प्रकरण रिमाण्ड किया गया था उसमे उनके द्वारा प्रतिवादी बापू के नाम पर जो इन्तकाल खोलने का आदेश दिया है जिसके आधार पर इन्तकाल सं. 366 प्रमाणीत दिनांक 2.12.2015 खारीज योग्य है तथा गलत खोला गया है।रेस्पोडेंट बापू उर्फ बापूलाल के पिता का नाम वागजी है मजूडा नही है क्योकि मजूडा तो ला – ओलाद फोत हो गया है, रेस्पोडेंट बापू के पिता का नाम वागजी है जो इस बात से साबित होता है कि निर्वाचक नामावली संवत् 2014 पंचायत सर्किल धनगॉव मे क्रम सं. 9 पर उसके पिता का नाम वागजी अंकित है तथा बी.पी.एल सूचि परिवार क्रमांक1109936 मे बापूलाल के पिता का नाम वागजी स्पष्ट दर्ज है, उपरोक्त दस्तावेज प्रतिवादी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तूत करने पर भी एसे दस्तावेजात को रेकार्ड पर नही लिया गया आदि तथ्यों का अंकन किया गया । तथा अपील को म्याद मे लाये जाने कानुन म्याद का प्रार्थना पत्र भी पेश किया ।

Scanned by CamScanner

प्रकरण मे अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेंट बापु को तलब किया गया ।विपक्षी बापु की और से जबाब पेश किया गया जिसमे अपील को गलत प्रस्तुत किया जाना अंकित किया गया ।

पत्रावली मे बहस सुनी गई दोराने बहस दोनो पक्षों द्वारा अपने अपने कथनों को दोहराया गया जो उनके द्वारा अपील व जबाब मे प्रस्तुत किये गए है ।पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया ।

मुल प्रकरण अपील के निर्णय से पुर्व अपीलांट की धारा 5 कानुन म्याद के प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जाना उचित समझा जाता है जिसके आधार पर अपीलांट द्वारा जो धारा 5 कानुन म्याद के संबध मे अपील नियत समयावधि मे पेश नही किये जाने का उल्लेख किया है तथा जिन बातों का वर्णन किया है उसके आधार पर न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि अपीलांट किन कारणों से नियत समय मे अपील पेश नही कर पाया था ऐसी परिस्थिति मे अपील को म्याद मे माना जाना आवश्यक समझा जाता है तथा अपील को म्याद मे माना जाता है तथा अब अपील का निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है ।अपील के अनुसार प्रकरण मे यह सिद्ध तथ्य है कि पुर्व मे खोले गये नामान्तरकरण सं. 310 दिनांक 3.2.2015 मौजा कटारापाडा को इस न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध मानते हुए निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया था लेकिन तहसीलदार भु. अ.चिखली के आदेश दिनांक 18.11.2015 के आधार पर खोले गए नामान्तरकरण सं. 366 प्रमाणीत दिनांक 2.12.2015 को देखने से प्रमाणीत हो रहा है कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश से पुर्व समस्त पक्षकारो को सुना नही गया जबकि समस्त पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक था तथा यहॉ यह कथन किया जाना अतिआवश्यक है कि इसी भुमि को लेकर एक राजस्व वाद प्रकरण सं. 1/15 जो दिनांक 7.5.2015 को राजीनामा के आधार पर फैसल किया गया है उसमे स्वयं बापु रेस्पोडेंट द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था की इंतकाल सं. 310 उसके नाम पर गलत खोला गया है तथा वादी यानि अपीलांट द्वारा सही वाद पेश किया है इतना ही नही स्वयं रेस्पोडेंट बापु द्वारा उसके जबाब मे अपने पिता का नाम वागजी कटारा दिनांक 23.4.2015 को अंकित किया है यानि वह मजुडा को गौद नही गया है इसके साथ ही पत्रावली मे अपीलांट व नाथु के मध्य संपादित एक आपसी समझौता नामा भी रेकार्ड पर मोजुद है जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणीत शुदा है जिसमे भी इन्ही बातों का प्रमुखता से अंकन है , तथा पत्रावली पर मौजुद दस्तावेज बी.पी.एल का दस्तावेज तथा वोटर लिस्ट मे भी रेस्पोडेंट के पिता का नाम वागजी ही अंकित है ऐसी परिस्थिति मे जहॉ एक व्यक्ति स्वयं यह कथन कह रहा है कि वह मजुडा जो ला –ओलाद मर गया है उसका पुत्र नही है तथा गौद नामा का कोई विधिवत् रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रमाणीत शुदा भी रेकार्ड पर नही होने के बावजुद तथा इतना ही नही माननीय अधिनस्त तहसीलदार भु.अ. चिखली द्वारा गौद संबधित लिखीत

Scanned by CamScanner

दस्तावेज को गोदनामा भी मान लिया जाना तथा स्वतः ही वसीयत (इच्छापत्र) मान लिया बिल्कुल गलत तथ्य है ऐसे मे माननीय अधिनस्त तहसीलदार भु.अ. चिखली के आदेश दिनांक 18.11.2015 मे रेस्पोडेंट बापु उर्फ बापुलाल पिता वागजी कटारा को स्वर्गीय मजुडा का विधिक वारिस गौद पुत्र मान लिया जाना मेरी विनम्र राय में उचित नही है और उस आदेश के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण सं. 366 प्रमाणीत दिनांक 2.12.2015 भी बिल्कुल गलत एवम् विधि विरूद्ध है ।

अतः अपील अपीलांट को प्रकरण मे आए तथ्यों व दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित समझा जाता है, तदनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है ।

आदेश

तहसीलदार भु.अ. चिखली के आदेश दिनांक 18.11.2015 को अपास्त निरस्त किया जाता है तथा उस आदेश के आधार पर खोले गये नामान्तकरण सं. 366 प्रमाणीत दिनांक 2.12.2015 को भी निरस्त किया जाता है । तथा तहसीलदार चिखली को आदेश दिया जाता है कि वह राजस्व रेकार्ड मे मजुडा पिता लक्सी कटारा की मृत्यु हो जाना जो पुर्व से रेकार्ड पर है ऐसी परिस्थिति मे मजुडा पिता लक्सी कटारा निवासी कटारा पाडा त. चिखली जिला डूँगरपुर का ला–औलाद होना दर्ज कर उसकी कृषि सम्पति का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज खातेदारों के मध्य विधि अनुसार हिस्सा कर श्री मजुडा पिता लक्सी की जगह उसके विधिक वारिसान का नाम जो मजुडा की मृत्यु हो जाने से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे रहते है के नाम दर्ज कर तथा इन्तकाल खोला जाकर प्रमाणीत कर निर्णय से दो माह के भीतर इस न्यायालय को सुचित करे।

4.7.2019

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाड़ा व धम्बोला

मणीलाल तीरगर

आदेश आज दिनांक 4.7.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

4.7.2019

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाड़ा मणीलाल तीरगर

Scanned by CamScanner